कार्यालय कृषि उत्पादन मण्डी समिति, रायबरेली

नवीन मण्डी स्थल रायबरेली में फल व सब्जी मण्डी में रिक्त दुकानों के आवंटन/नीलामी की सूचना

नवीन मण्डी स्थल रायबरेली के अन्दर फल सब्जी की "स" श्रेणी कुल 21 नग दुकानो का आवंटन खुली नीलामी द्वारा दुकान आंटन समिति की बैठक दिनांक–18.01.2024 को दोपहर 01:00 बजे बचत भवन कलेक्ट्रेट रायबरेली में जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में किया जाना है। अतः फल/सब्जी मण्डी से सम्बन्धित समस्त व्यापारियो एवं लाइसेंसधारियो को सूचित किया जाता है कि जिनकी फर्म के नाम अब तक कोई दुकान आवंटित नही है। वह व्यक्ति/व्यापारी मण्डी समिति कार्यालय में रू0–295.00(जी0एस0टी0 सहित) जमा कर आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे पूर्ण कर आवेदन के साथ संलग्न शर्तो के अनुसार पंजीकरण की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट ए0पी0एम0सी0 रायबरेली के नाम मूल रूप में संलग्न करते हुए विगत तीन वित्तीय वर्ष में जमा मण्डी शुल्क/टर्नओवर की सूचना के साथ तथा आरक्षण का लाभ लेने हेतु सक्षम स्तर से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र, के साथ सूचना प्रकाशन के 10 दिन दिनांक–06.01.2024 तक समिति कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। नियत नीलामी दिनांक को ससमय स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा नीलामी में भाग लिया जायेगा। आवंटन की समस्त प्रक्रिया दुकान आवंटन नियमावली 2016 एवं पत्रांक–विप0–3/(दु0आ0विनि0)/2022–215 दिनांक–06.06.2022 के प्रविधानानुसार सम्पन्न करायी जायेंगी। इस सम्बन्ध में किसी भी बिन्दु पर विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में मण्डी समिति रायबरेली कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। रिक्त दुकानों के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण निम्नवत् है:–

दुकान की श्रेणी	कुल रिक्त दुकानों की संख्या	निर्माण लागत/न्यूनतम बोली	पंजीकरण की धनराशि	वर्षिक किराया/यूजर चार्ज (18 प्रतिषत जी0एस0टी0 अतिरिक्त)	आरक्षित श्रेणीवार दुकानों का विवरण					अनारक्षित
					अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु0 जन जति	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0/ओ0डी0ओ0पी0 आदि	
'स'	01(पूर्व निर्मित)	386000.00	38600.00	5790.00	63	—	—	'—	—	—
'स'	09 टीन शेड (नव निर्मित)	320000.00	32000.00	4800.00	79,83, 89,93	81,85,87, 91,95	—	80,90	96,97	78,,82,84,86, 88,92,94
'स'	11(नव निर्मित)	560000.00	56000.00	8400.00						

1–10 दिन में प्राप्त आवेदन की जॉच के 03 दिन पश्चात प्राप्त आवेदको की अनन्तिम सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी,चस्पा होने के 03 दिवस में आपत्ति प्राप्त होने पर उपनिदेशक (प्रशा0/विप0),सभापति सचिव द्वारा निस्तारण कर नीलामी से दो दिन पूर्व अन्तिम प्राप्त सूची नोटिस बोर्ड एवं मण्डी परिषद की वेवसाइट–**http://upmandiparishad.upsdc.gov.in** पर प्रकाशित की जायेंगी।

2–स्वीकृत बोलीदाता के द्वारा स्वीकृत धनराशि का 50 प्रतिशत का भुगतान (जी0एस0टी0 18 प्रतिषत अतिरिक्त) आवंटन पत्र निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर न जमा किये जाने पर पंजीकृत धनराशि को जब्त कर ली जायेगी।

3–आवंटन पत्र निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर आवंटी के द्वारा लगायी गयी बोली की 50 प्रतिशत धनराशि (जी0एस0टी0 18 प्रतिशत अतिरिक्त) ,पंजीकरण राशि सहित जमा करने व अनुबन्ध करने के उपरान्त ही दुकान का कब्जा दिया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि (जी0एस0टी0 18 प्रतिशत अतिरिक्त) 03 माह के अन्दर जमा करनी होगी।

4–बोली की सम्पूर्ण राशि एक सप्ताह के अन्दर एकमुस्त जमा करने पर दो प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

5–सब्जी मण्डी स्थल की दुकानों के आवंटन हेतु श्रेणी वार पात्रता का निर्धारण लाइसेंस धारी व्यापारियो द्वारा विगत तीन वर्ष में जमा किये गये मण्डी शुल्क के औसत अथवा टर्नओवर औसत के आधार पर 50 प्रतिशत दुकाने आरक्षित रहेगी। विनियम–11 (1) प्रावाधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शेष दुकानों का आवंटन खुली नीलामी के माध्यम से किया जायेगा।

6–शेष नियम व शर्ते किसी भी कार्य दिवस में मण्डी समिति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

(प्रेम चन्द्र सरोज)
सचिव

(बाबूराम)
नगर मजिस्ट्रेट/सभापति

कार्यालय कृषि उत्पादन मण्डी समिति,रायबरेली

पत्रांक–कृ0उ0म0स0 /2023......-320

दिनांक 22/12/2023

प्रतिलिपिः–

1– जिलाधिकारी महोदया रायबरेली को सादर अवलोकनार्थ ।

2– उपनिदेशक (प्रशा0/विप0) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद लखनऊ सम्भाग लखनऊ की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

3–नगर मजिस्ट्रेट/सभापति कृषि उत्पादन मण्डी समिति रायबरेली को सूचनार्थ ।

4–विज्ञापन व्यस्थापक हिन्दी दैनिक जागरण व अमर उजाला को न्यूनतम दर/न्यूनतम साईज पर प्रकाशन कराने हेतु ।

5– प्रमुख कार्यालय मण्डी समिति व्यापारकर/तहसील/नगर पालिका के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

6–समस्त क्षेत्रीय कर्मचारी को प्रचार/प्रसार हेतु ।

22/12/23

सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
रायबरेली।